प्रेषक,

सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

सेवा में,

प्राचार्य, (समस्त)
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : कोष/ 31078-31150 /2018–19 दिनांक 20 फरवरी 2019

**विषय : डी0एल0एड0 2018 काउसिलिंग शुल्क कॉलेजों को स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूच्य है कि डी0एल0एड0 2018 में काउसिलिंग के अन्तर्गत डायट/निजी बी0टी0सी0 कॉलेजों में प्रवेश लेने वालें छात्रों द्वारा काउन्सिलिंग शुल्क के रूप में रू0 10000.00 प्रति छात्र की दर से जमा धनराशि निजी बी0टी0सी0 कालेजों में प्रवेश लेने वाली छात्रों की संख्या के आधार पर जनपद फर्रूखबाद, गोण्डा/बलरामपुर एवं फैजाबाद/अम्बेडकर नगर को छोडकर सभी जनपदो के डायट प्राचार्यो को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये खातो मे भारतीय स्टेट बैंक की व्यापारिक शाखा लखनऊ द्वारा आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से दिनांक 14.02.2019 को स्थानान्तरित कर दी गयी है। पत्र के साथ बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये यू.टी.आर. नम्बर की सूची एवं जनपदो के निजी विद्यालयो को दी जाने वाली धनराशि की सूची पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि आप अपने स्तर से एक माह के भीतर जनपद के सभी निजी डी0एल0एड0(बी0टी0सी0) विद्यालयों को धनराशि स्थानान्तरित कर धनराशि प्राप्त की सूचना अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करे, जिससे अग्रेतर कार्यवाही कार्यालय द्वारा सम्पादित की जा सके।

संलग्नक, यू.टी.आर. की सूची (4 पेज)

2. विद्यालयों की धनराशि सहित सूची

भवदीय

20.2.19

सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

20/2/19

पृ0सं0 :कोष/ 31078-31150 /2018–19 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. प्रदेश के समस्त निजी डी0एल0एड0 संस्थानों को इस आशय से प्रेषित है कि अपने सम्बन्धित डायटों से सर्म्पक कर धनराशि प्राप्त करें।

20.2.19

सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

20/2/19